न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 79/2024 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2024/81**

1. आशादेवी पत्नी स्व. किशनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम सुजानदेसर, बीकानेर।
2. मंगतूराम पुत्र स्व. किशनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम सुजानदेसर, बीकानेर।
3. कान्ता पुत्री स्व. किशनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम सुजानदेसर, बीकानेर।

– **अपीलान्ट्स**

बनाम

1. पुष्पादेवी पत्नी स्व. किशनलाल, जाति माली, निवासी सुजानदेसर, बीकानेर
2. शांतिलाल पुत्र स्व. किशनलाल, जाति माली, निवासी सुजानदेसर, बीकानेर।
3. संतोष पुत्री स्व. किशनलाल, जाति माली, निवासी सुजानदेसर, बीकानेर।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर।

– **रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः श्री ब्रजेश मदान अभिभाषक अपीलांट
श्री सत्यनारायण तिवाड़ी एवं विनोद पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांकः 11.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 29.07.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 245 तादादी 2.400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 581 खसरा नंबर तादादी 1.4600 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 584 तादादी 5.8500 हैक्टेयर कुल तादादी 9.7800 हैक्टेयर अपीलांट्स के पिता स्व. किशनलाल पुत्र सूरजाराम के नाम 1/12 हिस्सा रिकॉर्ड दर्ज था। तहसीलदार (भू.अ) बीकानेर द्वारा इंतकाल संख्या 392 द्वारा उक्त वादग्रत भूमि का विरासतन इंतकाल अशोक पुत्र किशनलाल, अपीलांट संख्या 1 ता 3 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया। अपीलांट्स ने उक्त इंतकाल संख्या 392 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपीलांट की उक्त अपील को यह कहते हुए खारिज कर दी कि अपीलांट्स द्वारा तथ्यों को छिपाये जाने एवं मूल वाद के जैरकार रहते हुए अपील पेश करने के परिणामस्वरूप उक्त अपील अंतर्गत धारा 151 सीपीसी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 29.07.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट्स द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर में इंतकाल संख्या 392 दिनांक 03.11.2022 को निरस्त करवाने हेतु पेश की थी। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जो वास्ते जवाब बहस प्रार्थना–पत्र हेतु पत्रावली मुकर्रर की गई, लेकिन उक्त पत्रावली में विचाराधीन प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किये बगैर बिना अपीलांट्स को बहस का मौका दिये, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलांट्स की अपील को निरस्त कर दिया। जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना है। अपीलांट संख्या 1 स्व. किशनलाल की पत्नी है एवं अपीलांट संख्या 2 ता 3 स्व. किशनलाल के पुत्र व पुत्री है। रेस्पोडेन्ट्स अपीलांट के पिता स्व. किशनलाल के फर्जी वारिस बनकर अपने नाम से नामान्तरण संख्या 392 दिनांक 03.11.2022 को दर्ज करवा लिया, जबकि रेस्पोडेन्ट्स स्व. किशनलाल के ना तो कभी वारिस थे ना ही वारिस है। उक्त इंतकाल के दौरान स्व. किशनलाल के वारिसान की किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई ना ही अपीलांट्स को नोटिस एंव सुनवाई का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपने आदेश में एक प्रकरण जो सहायक कलक्टर, बीकानेर के यहां विचाराधीन है का हवाला देते हुए अपीलांट्स की अपील को निरस्त कर दिया। जो कि गलत है, अगर किसी प्रकरण में कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो दूसरे प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता था ना कि अपील को खारिज किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 392 दिनांक 03.11.2022 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व, बीकानेर को ये निर्देश दिये जावे कि पुनः स्व. किशनलाल के वारिसान की जांच कर एवं अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि ग्राम सुजानदेसर के चार खसरों की भूमि है, जिसमें किशनलाल का 1/12 हिस्सा है। जिसका इंतकाल किशनलाल के वारिसान के नाम विधिवत रूप से दर्ज किया गया हैं। इंतकाल एक Fical प्रक्रिया है। जिसमें वादगत भूमि पर पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते है। अपीलांट्स ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर में लगा रखा है जो इंतकाल संख्या 392 के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर में हमने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसके जवाब हेतु अपीलांट हाजिर ही नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण का एक दावा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर में विचाराधीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर में भी उक्त प्रकरण में एक अपील विचारधीन है। नियमानुसार उत्तराधिकारों के अधिकारी नामांतकरण की कार्यवाही से तय नही होते। अपीलांट का सहायक कलक्टर बीकानेर में इस संबंध में दावा चल रहा है वहां से ही अधिकार तय होगे। इसलिए आदेश जैर अपील यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज

संभागीय आयुक्त बीकानेर

की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1. आर.आर.डी 1962 पेज संख्या 270
2. आर.आर.डी 1968 पेज संख्या 457
3. आर.आर.डी 1990 पेज संख्या 649, 478
4. आर.आर.डी 1992 पेज संख्या 360
5. आर.आर.डी 1986 पेज संख्या 590
6. आर.आर.डी 2003 पेज संख्या 403

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादगत भूमि खसरा नंबर 245 तादादी 2.400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 580 तादादी 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 581 खसरा नंबर तादादी 1.4600 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 584 तादादी 5.8500 हैक्टेयर कुल तादादी 9.7800 हैक्टेयर भूमि के संबंध में इंतकाल संख्या 392 को निरस्त करने बाबत की गई अपीलांट की अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने दिनांक 29.07.2024 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने वारिसान की जांच किए बिना व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 व तहसीलदार बीकानेर द्वारा दर्ज अपीलाधीन इंतकाल संख्या 392 03.11.2022 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि तहसीलदार बीकानेर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं वारिसान की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/11/24.

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर